न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्याः— 130/2017/अपील

1. लिछमा देवी पत्नी श्री प्रभातराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री प्रभातराम
3. बनवारी लाल पुत्र श्री प्रभातराम
4. मोहन लाल पुत्र श्री प्रभातराम
5. जड़ाव देवी उर्फ बिमला देवी पुत्री श्री प्रभातराम
6. कमलेश पुत्री प्रभातराम
7. सुमन पुत्री श्री प्रभातराम

समस्त जाति बलाई, निवासीगण ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

अपीलान्ट्स

बनाम

1.मंगलचन्द पुत्र श्री हरबक्श जाति यादव
2.भागीरथ पुत्र झुंथाराम जाति यादव
3. मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री सुरजमल जाति जांगिड़
4.सोहन लाल पुत्र स्व0 श्री सुरजमल जाति जांगिड़
5. रमेश पुत्र स्व0 श्री सुरजमल जाति जांगिड़
6.महेश पुत्र स्व0 श्री सुरजमल जाति जांगिड़
7.सुरेश पुत्र स्व0 श्री सुरजमल जाति जांगिड़
8.श्रवण दत्तक पुत्र श्री नारायण जाति जांगिड़
9. ताराचन्द पुत्र श्री हनुमान जाति जांगिड़
10.अणची बेवा गुल्लाराम जाति जांगिड़
11.नेमीचन्द पुत्र श्री गुल्लाराम जाति जांगिड़
12.मक्खन लाल पुत्र श्री गुल्लाराम जाति जांगिड़

समस्त निवासीगण अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 17.10.2017 प्रकरण संख्या 01/2017 अनुवानी लिछमादेवी बनाम मंगलचन्द आदि

वकील अपीलांट श्री प्रभातीलाल
वकील रेस्पोडेंट श्री नोपाराम जांगिड़

निर्णय **दिनांकः— 26.07.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में अपीलान्टस के 1/2 हिस्सा की खातेदारी भमि खसरा संख्या 1964 रकबा 1.80

की धारा 183(बी) के तहत अपीलान्ट्स की कृषि भूमि से रेस्पोडेन्ट्स को बेदखल करके कब्जा दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 01/2017 के रूप में दर्ज किया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया जिसमें से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 हाजिर अदालत आये एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 12 बाबजूद तामील के अनुपस्थित रहे, जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने सर्वथा मिथ्या कथनो के आधार पर जवाब प्रस्तुत किया एवं योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया। जबकि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मियाद बाहर नही होकर अन्दर मियाद था एवं अनुसुचित जाति के कृषक खातेदारान की कृषि भूमि पर अनुसुचित जाति से भिन्न जाति के रेस्पोडेन्ट्स को अनाधिकृत कब्जा रखने के लिए खुला छोड़ दिया। जबकि अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति की भूमि पर अतिक्रमियो के विरूद्ध संक्षिप्त कार्यवाही करने के प्रावधान समाज के गरीब ओर कमजोर के हितो का संरक्षण करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किया गया था। फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन का चुनौतीग्रस्त निर्णय के जरिये खारिज कर दिया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन को गुणावगुण पर निस्तारित नही करके केवल मात्र परिसीमा के बिन्दू पर निर्णित किया है। जिसके तहत अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मियाद बाहर होना निर्णय में अंकित किया है। तथाकथित मियाद अधिनियम 1925 की धारा 5 के प्रावधान धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन पर लागू होते है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम 1925 की धारा 5 का अंकन किया जाने से यह प्रमाणित है कि–" योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने नातो कानून का अध्ययन किया है नाही धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो का अवलोकन किया है अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) के सम्बन्ध में परिसीमा अवधि का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित तृतीय अनुसूची में अंकित है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, राजस्थान राज्य में विशेष विधि है और जहां पर विशेष विधि प्रभावी हो वहां किसी सामन्य विधि अथावा किसी अन्य विधि के प्रावधान लागू नही होते है तथा धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि वाद हेतुक उत्पन्न होने से 12 वर्ष है एवं इस प्रकरण में अपीलान्ट्स को वाद हैतुक दिनांक 25.02.2017 को उत्पन्न हुआ था जिसका अंकन आवेदन की मद संख्या 5 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघंन करके क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर मियाद अधिनियम 1925 की धारा 5 का गलत रूप से अंकन करके धारा 183(बी) के आवेदन को खारिज किया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय ने सम्पूर्ण निर्णय में मियाद अधिनियम 1925 की धारा 5 को ही बार–बार दोहराया है तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर के दावा संख्या 208/2000 व प्रार्थना पत्र रिसीवरी मुकदमा नम्बर 115/2000 बउनवानी प्रभात बनाम सुरजमल वगैरह का अंकन भी किया है व उक्त वादपत्र एवं रिसीवरी आवेदन दिनांक 16.11.2015 को खारिज होना बताया है परन्तु उक्त वादपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत ही नही था। नाही उक्त वादपत्र धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित था नाही उक्त वादपत्र गुणावगुण पर खारिज हुआ था बल्कि उभय पक्षकारान में कोई हाजिर नही होने एवं वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 फोत हो जाने के करण दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ था उक्त वादपत्र में रेस्पोडेन्ट्स का कब्जा होना कहीं भी अंकित नही है बल्कि उक्त खातेदार के नाती का ही कब्जा होना वादपत्र में अंकित था तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की

प्रभात के नाम से दर्ज हो चुकी थी। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट का भी, प्रकरण मियाद बाहर होने बाबत अवलम्ब लिया है। जबकि हल्का पटवारी ने की 14–15 वर्ष से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा होने की कोई जांच रिपोर्ट नही है बल्कि हल्का पटवारी की दिनांक 13.07.2017 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट मंगलचन्द, भागीरथ आदि से मिलकर गलत रूप से यह अंकन कर दिया कि–'' उपस्थित अप्रार्थीगण एवं मौजिज व्यक्तियो ने करीबन 13–14 वर्ष से उक्त भूमियों पर कब्जा होना बताया।'' परन्तु उक्त जांच रिपोर्ट के समर्थन में नातो 13–14 वर्ष पुराना कब्जा के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज है, न ही किन्ही व्यक्तियो द्वारा बताया जाने वाले के नाम अंकित है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने आगे बिना किसी आधार के ही यह भी फाईण्डिंग दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीएनजे 2009 पेज नम्बर 846 (सुप्रिम कोर्ट) में यह निर्णय दिया है कि मियाद के बिन्दु को निर्णित करते समय प्रकरण के गुणावगुण को मध्य नजर नहीं रखना चाहिए। जबकि जिस निर्णय का अधिनस्थ का अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अंकिन किया है वह धारा 183(बी) के इस प्रकरण पर लागू ही नही होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत मियाद को अपील में कण्डोन करने के सम्बंध में है जिसकी हैड लाईन निम्न प्रकार से है– "Delay of 178 days in filing appeal explained property-Merits of the case also considered–High Court ought not to have gone into the merits of the case and required to seen only whether sufficient cause has shown for condonation of delay – Held, Order set aside and appeal is restored for decision on merits." अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित नहीं किया जबकि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करके अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर रेस्पो. का कब्जा हटाते हुए अपीलांट्स को कब्जा सम्भलाया जाने का निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से चुनौतिग्रस्त निर्णय पारित कर धारा 183(बी) के आवेदन को खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 अनुवानी लिछमा देवी आदि बनाम मंगलचन्द आदि में दिनांक 17.10.2017 को पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय को खारिज किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन को स्वीकार करके अपीलांट्स को कृषि भूमि खसरा नम्बर 1964 रकबा 1.80 है0 ग्राम अरनिया तहसील श्रीमाधोपुर के 1/2 हिस्से का कब्जा दिलाया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 ग्राम अरनिया के खसरा नम्बर 1964 का अवलोकन किया गया। उक्त जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 2402 दिनांक 23.02.2017 विरासत से प्रभात पुत्र चतराराम हिस्सा 1/2 कौम मेघवंशी के स्थान पर लिछमादेवी पत्नी स्व0 श्री प्रभातराम जगदीश बनवारीलाल मोहनलाल पुत्र प्रभातराम जड़ावदेवी उर्फ विमलादेवी कमलेश सुमन पुत्रिया प्रभातराम हिस्सा 1/2 हि. ब. जाति मेघवंशी का नोट अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रीमाधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मियाद के बिन्दु पर खारिज किया है। अधिकार अभिलेख व पक्षकारान के कथन से प्रथम दृष्टया प्रतीत है कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पो. जो कि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, ने कब्जा काश्त कर रखा है। राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात एवं पक्षकारान की स्वीकारोक्ति के मध्यनजर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी के संदर्भ में प्रकरण पर सरसरी गौर किये जाने मात्र से यह परिलक्षित है कि प्रकरण

निर्णय किया है जो कि कानूनन गलत है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 2402 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा खातेदारी प्रभात की मृत्यु होने पर विरासत से अपीलांटान को खातेदारी अधिकार दिये है एवं चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 17.10.2017 के द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं न्यायलय सहायक कलक्टर प्रथम श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण मात्र मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया गया। जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अपने आप में पर्याप्त सिद्व नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 अनुवानी लिछमादेवी बनाम मंगलचन्द में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2017 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमियों के सम्बंध में विधिवत जांच की जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/18

(जय प्रकाश)
अति० जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर